

प्रेस विज्ञापि
सराहनीय कार्य साइबर क्राइम सैल जनपद एटा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री उदयशंकर सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक अपराध एटा श्री ओमप्रकाश सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के परिदृश्य चलाए जा रहे अभियान के तहत साइबर सैल एटा द्वारा आनलाइन ठगी का शिकार हुए शिकायतकर्ता श्री संजय कश्यप पुत्र स्व० श्री बाबूराम नि०-वनगाँव रोड थाना कोतवाली नगर जनपद एटा मो०न०-9568878050 ने प्रार्थना पत्र संख्या 201/21 के माध्यम से अवगत कराया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने शिकायतकर्ता के खाते से एटीएम क्लोनिंग करके धोखाधड़ी से 50000 रुपये निकाल लिये गये हैं।

अपर पुलिस अधीक्षक अपराध एटा द्वारा साइबर सैल की टीम को प्रकरण की जांच कर शिकायतकर्ता की समुचित मदद करने हेतु निर्देशित किया गया। साइबर सैल एटा द्वारा मामले की गंभीरता से जांचकर त्वरित व लाभप्रद कार्यवाही करते हुए तथा सम्बन्धित बैंक/गेट-वे को ई-मेल करते हुये आज दिनांक को शिकायतकर्ता की ठगी गई धनराशि 50000 रुपये की बड़ी रकम को पीडित के बैंक खाते में वापस कराया गया है। अपने पैसे वापस पाकर शिकायतकर्ता द्वारा एटा पुलिस को धन्यवाद देते हुए भूरि भूरि प्रशंसा की गई है।

साइबर क्राइम सैल टीम जनपद एटा

1. उ०नि० अरविन्द कुमार सिवाल, प्रभारी
2. आरक्षी अजयपाल सिंह
3. आरक्षी अर्जुन सिंह
4. म० आरक्षी प्रयंका सिंह

***** साइबर सैल एटा द्वारा साइबर ठगी से बचने हेतु आमजन को संदेश******

01- किसी भी कम्पनी का कस्टमर केयर नम्बर उस कम्पनी के आधिकारिक वेवसाइट से ही प्राप्त करें क्योंकि आजकल साइबर ठगों द्वारा अपने नम्बरों को विभिन्न आनलाइन कम्पनियों के कस्टमर केयर के नाम से गूगल पर अपडेट किया गया है।

02- कोई भी बैंक अधिकारी फोन पर कभी भी आपसे एटीएम खाते क्रेडिट कार्ड अन्य से सम्बन्धित जानकारी नहीं मांगता इसलिए कभी भी फोन काल पर अपने बैंक से सम्बन्धित जानकारी शेयर ना करें।

03- किसी भी क्यूआर कोड से पेमेंट लेते/देते समय यह अवश्य चेक करें कि क्यूआर कोड पेमेंट रिसीव करने वाला है।